UPME010041932025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थितः संजीव पान्डेय, (उच्चतर न्यायिक सेवा) (यू.पी. 1896)

सत्र परीक्षण सं0–325 सन 2025

सरकार बनाम धर्मेन्द्र कोहली व अन्य

24.06.2025

1. पत्रावली पेश हुई। आज यह पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थना पत्र 12ख अन्तर्गत धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता, समर्थित शपथ पत्र 13ख अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचन हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अभियेाजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 506, 92 (ई.) भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसा गया है। घटना दिनांक 27.05.2023 समय रात्र 9:50 बजे की बतायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.05.2025 को दोपहर 01:00 बजे दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा गवहान के बयान में विरोधाभाष है। उक्त घटना में आयी चोटों की बाबत केवल एक व्यक्ति सचिन की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है तथा चिकित्सीय आख्या के अनुसार चोटों की प्रकृति साधारण दर्शायी गयी है। घटनास्थल के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति दिनेश शर्मा, ब्रजमोन तथा पंकज का बयान नही लिया गया है। सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार अभियुक्ता नेहा घटनास्थल पर मौजूद नही थी। वास्तव में घटना घर के बाहर घटित हुई थी परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनास्थल घर के अन्दर दर्शित किया गया है। वादी का पुत्र शिवम आये दिन अभियुक्तगण के परिवार की पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ करता था तथा अपराधिक कृत्य करता था। सम्पूर्ण विवेचना दोषपूर्ण ढंग से करके आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियेाजन द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 506, 92 (ई.) भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी तथा चुटहिल ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो में घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। घटना में आयी चोटों के सन्दर्भ में चुटहिल का चिकित्सीय

परीक्षण किया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतः उन्मोचन प्राथना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. वादिनी तारा सैनी द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी दिनांक 27.05.2023 को समय करीब 9:50 बजे रात्रि वादिनी के पड़ौस में रहने वाले धर्मेन्द्र कोहली, लोकेश, अनिल, सोनू, चिराग, संगीता, आशा, कन्नू प्रिया, मनू, तथा नेहा वादिनी के घर के बाहर गालीगलौच कर रहे थे, जब वादिनी की पुत्री कंचन ने गालियां देने से मना किया तो वे लोग एक साथ वादिनी के घर में घुस आये तथा इन लोगो ने वादिनी के बेटे सचिन व शिवम के साथ मारपीट की, जिसमें सचिन के काफी चोंटे आयी जो विकलांग है। पड़ौस के लोगो को आता देखकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

6. धारा 161 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के बयानो में वादिनी ने घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। विवेचक द्वारा स्वतन्त्र गवाह रोशन लाल सैनी का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के अधीन अंकित किया गया है। इस साक्षी ने अपने बयानो में कथन किया है कि दिनांक 27.05.2023 को अभियुक्तगण ने वादिनी के घर में घुसकर मारपीट की। साक्षी की पत्नी/वादिनी ने उसे घटना के सम्बन्ध में फोन करके बताया था। जब साक्षी अपने घर पहुचा तो उसने देखा कि अभियुक्तगण साक्षी के घर के अन्दर घुसे हुये है तथा साक्षी के बेटे सचिन व शिवम के साथ मारपीट कर रहे है, घटना में साक्षी के बेटे सचिन के काफी चोंटे आयी थी जो विकलांग है। शोर शराबे पर पड़ौस के लोगो के आने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

7. विवेचक ने चुटहिल सचिन सैनी का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के अधीन अंकित किया गया है। साक्षी ने अपने बयानो में कथन किया है कि दिनांक 27.05.2023 को अभियुक्तगण ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। अभियुक्तगण साक्षी के घर के अन्दर घुसे आये तथा साक्षी व शिवम के साथ मारपीट जिसमें साक्षी को काफी चोंटे आयी, साक्षी एक विकलांग व्यक्ति है। शोर शराबे पर पड़ौस के लोगो के आने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। घटना के सम्बन्ध में सी.सी.टी.वी. की फुटेज प्रस्तुत की है, जिसमें घटना रिकार्डेड होना बताया गया है।

8. स्वतन्त्र साक्षीगण शिवम सैनी तथा कंचन सैनी ने भी अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो में घटना का समर्थन किया है। चुटहिल सचिन की चिकित्सीय आख्या तथा विकलांग प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिनसे स्पष्ट है कि सचिन चुटहिल को चोंटें पहुचायी गयी तथा वह एक विकलांग व्यक्ति है।

9. अभियोजन की ओर से अपने तर्को के समर्थन में विधि व्यवस्था **स्टेट आफ गुजरात बनाम दिलीप सिह किशोर सिह राव 2024 (126) ए.सी.सी. 267** माननीय उच्चतम न्यायालय प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि आरोप विरचित किये जाने के समय और प्रसंज्ञान लिये जाने के समय अभियुक्त को कोई सामग्री प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। विचारण न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुये यह देखना होता है कि क्या आरोप पत्र सामग्री के आधार पर अपराध बनता है।

10. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपने कथनों के समर्थन में विधि व्यवस्था **राज कुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य 2016 (2) जे.सी.आर.सी. 1395** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था दी गयी है किः–

"Thus, at the time of framing of charge, the court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether facts emerging therefrom taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence."

11- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 506, 92 (ई.) भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादी, चुटहिल तथा स्वतन्त्र साक्षीगण ने अपने बयानो में घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। घटना में आयी चोटों के सन्दर्भ में चुटहिल का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। चुटहिल एक विकलांग व्यक्ति है जिसके सम्बन्ध में विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का गठन होना परिलक्षित होता है। आरोप निर्मित किये जाने के स्तर पर प्रथम दृष्टया अपराध का गठित होने के प्रश्न पर ही विचार किया जाता है।

12. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में यह न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–147, 452, 323, 504, 506, 92 (ई.) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 12ख अन्तर्गत धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक 08.07.2025 को पेश हो।

दिनांक–24.06.2025

(संजीव पान्डेय)
जिला न्यायाधीश,
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference, for authentic copy, please apply for certified copy. Mohammad Noor Alam, Personal Assistant.